

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::

// आदेश //

भोपाल, दिनांक: 18/12/2020

क्रमांक: एफ.17-16/2020/38-1 :: प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री अविनाश बिहारिया, सहायक प्राध्यापक, मनोविज्ञान, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर को अपराध क्रमांक 343/19 धारा 376 आई.पी.सी. 3(2) 5 एस.एसी. एक्ट के तहत दिनांक 19/10/2020 को विधिवत गिरफ्तारी कर जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में माननीय विशेष न्यायालय में दिनांक 20/10/2020 को पेश किया गया है, जो कि वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

2/ अतः श्री अविनाश बिहारिया, सहायक प्राध्यापक, मनोविज्ञान, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर को 48 घण्टे से अधिक कालावधि के लिए न्यायायिक अभिरक्षा में निरूद्ध किये जाने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री बिहारिया का मुख्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल संभाग भोपाल रहेगा। उपरोक्त अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(श्वेता पवार)

उप सचिव


म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक: 18/12/2020

पृ0 क्रमांक: एफ.17-16/2020/38-1

प्रतिलिपि:-

- 1/ स्टॉफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
- 2/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.
- 3/ आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल म.प्र.
- 4/ जिला कोषालय अधिकारी, जिला नरसिंहपुर म.प्र.
- 5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र.की ओर इस निर्देश के साथ की संबंधित को निलंबन आदेश की प्रति तामिल करवाकर पावती की प्रति इस कार्यालय को भेजे।
- 6/ प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर म.प्र.
- 7/ श्री अविनाश बिहारिया, सहायक प्राध्यापक, मनोविज्ञान, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहपुर म.प्र.
- 8/ आर्डर बुक।


उप सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग